

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री ब्रजेश सिंह के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनांक 05.10.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी ।

02 अदद अवैध चाकू के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा एक अदद अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त नाम पता लाल मोहम्मद पुत्र जुम्नन निवासी दानो कुइयाँ थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 330/19 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा एक अदद अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त नाम पता कन्हैया हरिजन पुत्र मनोज हरिजन निवासी पचनेउरी थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर मु0अ0सं0 255/19 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

वारण्टी

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा एक वारण्टी नाम पता सोनू पुत्र गोविन्द निवासी बगहिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1483 ने घायल को पहुंचाया अस्पताल – पीआरवी 1483 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 2911 से कालर ने दुर्घटना मे एक व्यक्ति के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दी । इस सूचना पर पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 07 मिनट में मौके पर पहुंचकर घायल को पीआरवी से अस्पताल पहुंचाया गया तथा थाना कोतवाली खलीलाबाद को सूचित किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुंचकर घायल जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ- मुख्य आरक्षी कामेश्वर सिंह, मुख्य आरक्षी नरसिंह यादव, होमगार्ड चालक पवन पाण्डेय ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 03 वाहन चालान व 24 वाहनो से 22100 रु0

सम्मन शुल्क वसूल

आज दिनांक 05-10-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 03 वाहन चालान व 24 वाहनो से 22100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 05-10-2019 को जनपदीय पुलिस व एन्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 22 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 63 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के लड़को से पूछताछ करने के पश्चात कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गई कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।